(341)

संख्या–59 /VI-2/2012–72(5)/2012

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2**

देहरादूनः दिनांकः 30 जनवरी, 2012

**विषयः– पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1850/सं0नि0उ0/दो–3/2012–13 दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य संरक्षित स्मारक, देवलगढ़ मन्दिर समूह के अन्तर्गत सत्यनाथ एवं कालनाथ भैरव मन्दिरों के मरम्मत आदि कार्यो हेतु क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, पौड़ी द्वारा आंकलित ₹22.61 लाख के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹16.80 लाख (₹सोलह लाख अस्सी हजार) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष इतनी ही धनराशि संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के अनुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से, आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

3– धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय। धनराशि का आहरण/व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर यथाआवश्यकता नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

.....(2)

5– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के सबन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

6– उक्त धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–103–पुरात्व विज्ञान–03–पुरातत्व अधिष्ठान–00–29–अनुरक्षण मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के कॉलम–1 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–52(NP)/XXVII(3)/2012–13 दिनांकः 18, दिसम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

**संलग्नक– यथोपरि।**

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 59 /VI-2/2012–72(5)2012 तद्दिनांक।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, पौड़ी।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।